जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 01.03.2023**

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा करीब 08 वर्ष से फरार 15,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में करीब 08 वर्षों से फरार 15,000/- रूपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में विपुल कुमार पुत्र घनश्याम दास निवासी धीमानपुरा थाना कोतवाली शामली द्वारा उसके घर की गैलरी में रखे 03 गैस सिलेंडर अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 15,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त पर जनपद शामली के अतिरिक्त दिल्ली राज्य में भी चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. नौशाद उर्फ भूरा पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला सलारा, शेखमैदान थाना झिंझाना शामली , हाल पता म0नं0 N-956 संगम विहार थाना तिहरी जनपद साउथ दिल्ली।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 491/15 धारा 454/380/411 भादवि थाना कोतवाली जपनद शामली।
2. मु0अ0सं0 552/15 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली जपनद शामली।
3. मु0अ0सं0 789/15 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 727/15 धारा 454/380/411 भादवि थाना गोविन्द पुरी साउथ ईस्ट दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 615/16 धारा 454/380/411 भादवि थाना संगम विहार साउथ दिल्ली।
6. मु0अ0सं0 586/21 धारा 454/380/411 भादवि थाना गोविन्द पुरी साउथ ईस्ट दिल्ली।

थाना कांधला पुलिस एवं साइबर सेल शामली की संयुक्त कार्यवाही में फर्जी चैक बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर 1,85,000/- रूपये निकालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल, चेक व डेबिट कार्ड बरामद।

आज दिनांक 01.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस एवं साइबर सेल शामली द्वारा फर्जी चैक बनाकर उस पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से 1,85,000/ रूपये की धनराशि निकालने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.01.2023 को रविन्द्रपाल पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली द्वारा उसके पीएनबी बैंक के खाते का फर्जी चैक बनाकर 1,85,000/ रूपये निकालने के सम्बन्ध में साइबर सेल शामली/थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगद धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी साइबर सेल/थाना कांधला को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

अपराध करने का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त आशीष कुमार झा ने पूछताछ करने में बताया कि यह व इसका साथी शानू ठाकुर विभिन्न बैंको मे अपनी सेटिंग बैंक कर्मचारियों से करते थे जिससे इन्हें किसी भी व्यक्ति के खाते की पूर्ण जानकारी जैसे चैक संख्या, खाताधारक के हस्ताक्षर, नमूना आदि की जानकारी आसानी से मिल जाती है। जिसके बाद इसका साथी शानू ठाकुर एक विशेष इंक से व पैन इरेजर के माध्यम से चैक मे अंकित काले अक्षरों को इरेज कर देता था तथा व्यक्ति का खाते का विवरण जैसे खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, चैक संख्या आदि उस चैक पर प्रिन्ट कर देता था तथा फर्जी चैक जब तैयार हो जाता था तो यह हायर किये गये बैंक खातों मे जाकर उन चैकों को लगा देता था। धनराशि आने पर इसका हिस्सा इसको मिल जाता। इसी तरह इन दोनों ने मिलकर फर्जी चैको के माध्यम से अब तक करीब 01 करोड की धोखाधडी कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आशीष कुमार झा पुत्र पुत्र रविन्द्र कुमार झा नि0 ग्राम बभनगरी पोस्ट कपिल शेखर स्थान ककरोल मधुबनी बिहार, हाल पता L-17 गली न0-24 1ST FLOOR ठेके वाला रोड निकट रसीला पेंट, जहांगीर पुरी थाना महिन्द्रा पार्क नई दिल्ली।

बरामदगीः-

1. 01 मोबाइल, 04 चैक, 04 डेबिट कार्ड।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 57/2017 धारा 420 भादवि थाना ग्रेटर कैलाश दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 50/2023 धारा 406,420, 467,468,471 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2021 में थाना अभियुक्त राजवीर, आसू मौहम्मद व इमरान उर्फ मानू निवासी कस्बा बनत थाना आदर्शमंडी जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 147/2021 धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। *इसी क्रम में आज दिनांक 01.03.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे कैराना द्वारा अभियुक्त गण को धारा 307 भादवि (हत्या का प्रयास) में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1. राजवीर पुत्र सुखबिरा कश्यप निवासी गांधीनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।
2. आसू पुत्र रियाज निवासी मौहल्ला हकीकत नगर कस्बा बनत थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।
3. इमरान उर्फ मानू पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला हकीकत नगर कस्बा बनत थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 15 लेडीज सूट बरामदः-</u>

आज दिनांक 01.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चोरी के 15 लेडीज सूट सहित 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.02.2023 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा थाना कैराना पर उसकी दुकान से लेडीज सूट व बैग चोरी होने के सम्बन्ध मे तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. समीर पुत्र अमीर अहमद निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शालमी।
2. आसिफ उर्फ छोटू पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगीः-

1. चोरी के 15 लेडीज सूट।